

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना

क्रमांक:- 17 /स्थापना/2025

दिनांक:- 26 Sept, 2025

- कार्यालय आदेश -

मै महावीर सिंह चारण, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुये वर्ष 2025 के माह अक्टूबर में आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु डीडवाना न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूँ-

क्र. सं.	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम व पद
1.	01.10.2025 व 02.10.2025 दशहरा अवकाश	सुश्री पूनम योगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना
2.	05.10.2025 रविवार	श्रीमती मनोरमा मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं
3.	10.10.2025 करवाचौथ (स्थानीय अवकाश), 11.10.2025 द्वितीय शनिवार, 12.10.2025 रविवार	श्री रामपाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर
4.	18.10.2025 व 19.10.2025 दीपावली अवकाश	श्री रूपेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना
4.	20.10.2025 व 21.10.2025 दीपावली अवकाश	श्रीमती कामाक्षी मीणा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन
5.	22.10.2025 व 23.10.2025 दीपावली अवकाश	श्री धर्मेन्द्र, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां
6.	25.10.2025 चतुर्थ शनिवार व 26.10.2025 रविवार	श्री पंकज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना

नोट:-

01. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय, आकस्मिक, स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।

02. संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के लिए रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति / अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वह अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने पर ही उनके प्रार्थना

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डीडवाना

पत्र पर विचार किया जावेगा एवं अन्य अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाए जाने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करें / मुख्यालय परित्याग करेंगे।

03. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।

04. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमांड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

05. न्यायिक अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी आगामी माह हेतु लगाई गई है, वे आदेशानुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे एवं उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में परिवर्तन हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार एवं संवाद नहीं करेंगे।

क्रमांक:- 123-133

दिनांक:- 26.09.2025

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डीडवाना।
2. श्रीमान् अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय - डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर संख्या 01 व 02
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर/नावां।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/मकराना।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना, समस्त वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत्।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।
7. समस्त बार संघ अध्यक्ष, जिला डीडवाना-कुचामन।
8. जिला आबकारी अधिकारी, डीडवाना सभी आबकारी थानों को सूचित करने बाबत्।
9. प्रभारी अधिकारी जिला उपकारागृह, डीडवाना।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

43
26/09/25
(महावीर सिंह चौरण)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
डीडवाना